न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01, अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– **डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल, R.J.S.**
{U.I.D. No.RJ00720}
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

याचिका संख्याः– 143/2021
C. I. S. NO.:– 103/2021

01. सुखराम पुत्र लिखमाराम, निवासी चक 11–पी पतरोड़ा, तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)

––याची

ब ना म

01. ममता पत्नी सुखराम पुत्री मेघाराम, निवासी चक 03 एन.डी., तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर, हाल तेजपाल पुत्र बीरबलराम, निवासी 33 के.वाई.डी., तहसील खाजूवाला, जिला–बीकानेर(राज.)

––अयाचीया

तलाक याचिका अन्तर्गत धारा 13(1)(।)(।–क)हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

01. श्री मेजरसिंह, विद्वान अधिवक्ता–याची,
02. श्री आनन्द कुमार, विद्वान अधिवक्ता–अयाचीया

- :: निर्णय :: - दिनांक –12.03.2026

01. याची सुखराम द्वारा अयाचिया ममता के विरूद्ध यह तलाक याचिका अन्तर्गत धारा 13(1)(।)(।–क)हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत् दिनांक 24.08.2021 को इस न्यायालय के समक्ष पेश करने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि याची सुखराम की ओर से यह तलाक याचिका अयाचिया ममता के विरूद्व मुख्यतः इन आधारों पर प्रस्तुत की

गई कि याची की शादी अयाचीया के साथ दिनांक 16.07.2010 को अयाचीया के पिता के घर चक 03 एन डी तहसील अनूपगढ़ में सम्पन्न हुई थी। शादी के रोज ही याची अयाचीया को अपने साथ अपने गांव 11 पी पतरोडा ले आया। शादी के बाद याची व अयाचीया के वैवाहिक सम्बन्धों से अयाचीया के एक लड़का सुमित आयु 04 वर्ष पैदा हुआ जो वर्तमान में याची के पास है। शादी के बाद अयाचीया का व्यवहार याची के प्रति करीब चार वर्षो तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद अयाचीया याची के साथ छोटी–छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने लग जाती, घर का काम नहीं करती तथा अयाचीया बिना बताये ही अपने पीहर चली जाती। जहां वह कभी एक माह तो कभी दो माह व कभी कभी तो 02–02 माह तक रहती थी तथा वापस आ जाती थी। इसी दौरान अयाचीया के नाजायज सम्बन्ध याची के पडौस में रहने वाले सद्दू उर्फ शहजाद खां के साथ हो गये और सन 2015 में अयाचीया उक्त सद्दू उर्फ शहजाद खां के साथ भाग गई थी, जिसकी सूचना याची द्वारा दिनांक 27.07.2015 को पुलिस थाना अनूपगढ़ में प्रार्थना पत्र पेश करके दी गई थी, जिस पर पुलिस थाना अनूपगढ़ द्वारा सद्दू उर्फ शहजाद खां के खिलाफ अन्तर्गत धारा–363,366,379 आई.पी.सी. एवं 03 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अयाचीया सन 2017 तक अपने पीहर में रही, जिस पर दिनांक 25.02.2017 को एक पंचायत की गई जिसमें अयाचीया ने अपनी गलती स्वीकार की तथा पंचायत में राजीनामा किया गया तथा इस संबंध में अयाचीया द्वारा एक शपथ पत्र गवाहान के समक्ष इसी दिनांक को इस आशय का लिखकर दिया कि वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी एवं ना ही भविष्य में ऐसा कदम उठायेगी, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को समाज में आघात पहुंचे। इस पंचायत में याची की माता व अयाचीया की माता भी मौजूद थी और फिर याची अयाचीया को अपने साथ अपने घर 11 पी पतरोडा ले आया।

03. उसके पश्चात् दिनांक 27.11.2017 को याची व अयाचीया वैवाहिक संबंधों से एक लड़का सुमित पैदा हुआ। उसके बाद अयाचीया का व्यवहार कुछ समय तक तो ठीक रहा लेकिन बाद में छोटी–छोटी बातों को लेकर अक्सर घर में

लडाई झगडा करने लगी और बिना बताये घर से चली जाती व कई कई दिनों तक घर नहीं आती। इस प्रकार अयाचीया का चाल चलन व चरित्र अच्छा नहीं है, जिसने याची का जीना दुर्भर कर दिया है। अयाचीया का व्यवहार याची व उसके परिवार के प्रति हमेशा क्रूरता का रहा है। याचिका पेश करने से करीब एक माह पूर्व अयाचीया की माता अयाचीया को अपने साथ यह कहकर ले गई कि चार पांच दिन के लिए उसके साथ भेज दो, चार—पांच दिन बाद वह इसे छोड़ जाएगी, लेकिन जब अयाचीया चार पांच दिन बाद भी नहीं आई तो लगभग 15 दिन बाद याची स्वंय अयाचीया को लेने के लिए अपनी ससुराल गया तो अयाचीया ने याची को कहा कि पांच सात दिन में आ जाएगी। लेकिन जब पांच सात दिन बाद भी अयाचीया नहीं आई तो याची ने अपनी ससुराल में फोन किया तो याची को अयाचीया की मां ने बताया कि अयाचीया किसी तेजपाल नामक लड़के के साथ भाग गई है, जो कि अब पुलिस थाना खाजूवाला में उन दोनों को पकड़ रखा है, जिसकी एम पी आर पुलिस थाना खाजूवाला में दिनांक 14.08.2021 को दर्ज की गई है तथा थाना में ही अयाचीया ने यह कहा कि वह तो तेजपाल के साथ ही जाएगी व उसके साथ ही रहेगी। अब अयाचीया तेजपाल के साथ जारकर्म में रह रही है जो चरित्रहीन है। याची व अयाचीया दोनों का साथ साथ रहकर वैवाहिक संबंध बनाना असम्भव है। कई बार पंचायतें भी की थी एवं मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाईश भी की गई थी, लेकिन अयाचीया ने याची के साथ बसने से साफ इन्कार कर दिया है। याचिका बिना किसी दुरभिसंधि के पेश की गई है।

04. अंत में याचिका न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार, अंदर मियाद एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर होना अभिकथित करते हुए याची व अयाचिया के मध्य दिनांक 16.07.02010 को हुए विवाह को विघटित किया जाकर तलाक की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

05. उक्त याचिका प्रस्तुत करने पर अयाचीया को जरिए नोटिस तलब किया गया जिस पर अयाचीया ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब याचिका पेश करने हेतु

अवसर चाहा किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अयाचीया द्वारा जवाब याचिका पेश नहीं करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2023 को जवाब पेश करने का अवसर बंद किया गया।

06. साक्ष्य याची में न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद याची की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2024 को साक्ष्य याची बंद की गई। तत्पश्चात अयाचीया की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा जिस पर साक्ष्य अयाची बंद की गई।

07. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार से हैः–

01– आया याची, याचिका में उल्लिखितानुसार अयाचीया द्वारा उसके साथ किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार के आधार पर तलाक की डिक्री या विवाह विघटित की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ?

08. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि याची ने अपनी याचिका में यह अभिकथन किया है कि अयाचीया ममता उसकी विवाहिता पत्नी है एवं ममता ने शादी के बाद याची के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा बिना किसी कारण के याची का परित्याग कर रखा है। अयाचीया ममता उसके साथ बसना नहीं चाहती है। अतः याची की याचिका स्वीकार की जाकर याची एवं अयाचीया के मध्य सम्पन्न हुए विवाह को तलाक की डिक्री से विघटित किया जावे। न्यायालय के विनम्र मत में याची ने अपनी याचिका में वर्णित अभिकथनों के समर्थन में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद याची की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करने पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य याची पेश करने का अवसर बंद किया गया। ऐसी स्थिति में साक्ष्य में अभाव में याची द्वारा प्रस्तुत याचिका के अभिकथनों को साबित नहीं माना जा सकता। फलस्वरूप याची साक्ष्य के अभाव में अयाचीया के साथ सम्पन्न हुए विवाह को तलाक की डिक्री से विघटित करवाने का अधिकारी नहीं

है एवं याची द्वारा अयाचीया के विरूद्ध प्रस्तुत याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः आदेश निम्नवत् हैः–

- :: आ दे श :: -

09. **निष्कर्षतः** याची सुखराम द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(1)(।)(।–क) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 विरूद्ध अयाचीया ममता साक्ष्य के अभाव में **खारिज** की जाती है। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे। नियमानुसार डिक्री पर्चा बनाई जावे।

{डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल}
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–01
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

10. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

{डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल}
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–01
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

Steno Gr.II "Authenticate Document"

PRAVEEN KUMAR

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR
Date: 2026.03.16 10:55:42 +0530